अतिरिक्त विभागीय डाक टिकट-विक्रेता	1
प्रधान डाकिया	1
मेल ओवरसियर	1
डाकिये तथा ग्राम डाकिये	7+1
संदेशवाहक	2
मेल पियन	3
अतिरिक्त विभागीय संदेश वाहक	1
अतिरिक्त विभागीय चौकीदार	1
अंशकालिक धोबी	1
अंशकालिक झाड़ूवाला	1

मंजूर किए गये सभी पद भरे हुए है ।

(ग) प्रश्न ही नही उठता । जनता से कुप्रबन्ध या विलम्ब की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न ही नही उठता ।

मध्य प्रदेश में आयात लाइसेंस कार्यालय

1135. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन राज्यों के नाम क्या है जहां आयात लाइसेंस कार्यालय स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश मे ऐसा कोई कार्यालय नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य मे आयात और निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रक का एक कार्यालय खोलने का मंत्रालय से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हा, तो इस संबध मे क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण जिसमे विभिन्न राज्यों मे स्थित लाइसेंस कार्यालयों के नाम और पते तथा उनका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र दर्शाया गया है सभा पटल पर रखा गया है | **ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या LT 285/71 | ये लाइसेंस कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित आयातकों से संबंधित लाइसेंसों हेतु आवेदन पत्रों पर, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां लाइसेंस देने के कार्य का केन्द्रीयकरण कर दिया है, कार्यवाही करते है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

Review *Re.* Continued Posting of C R.P. and Army Units in West Bengal

1136. SHRI TRIDIB CHAUDHURI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the question of the continued posting of C.R P and Army units in West Bengal in order to assist the West Bengal Government to maintain law and order in the State has been reviewed by her Ministry and the new democratic Coalition Government in the state after assumption of power by the latter Government on April 2, 1971 ,

(b) whether any request has been received by Government from the State Government of West Bengal for withdrawing the C.R P. and the Army from the State and for keeping them at convenient points outside the State so as to be available in case of any emergency ; and